प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **84 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

कुन्दनमल मेघवाल पुत्र हीरालाल मेघवाल पताः खरसाण, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 23.04.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/84/25/560–61 दिनांक 02.06.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपने पत्र कमांकः आर.टी.आई./2025/551 दिनांक 24.06.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन के बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया है कि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उक्त तथ्य निराधार एवं सही नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.04.2025 को कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसके बिन्दु संख्या 1 से 8 थे, जिनका विस्तृत प्रत्युत्तर एवं सूचनाएं इस कार्यालय के पत्रांक 423 दिनांक 21.05.2025 द्वारा दी गई। बिन्दु संख्या 1 की सूचना इनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2025 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार वर्णित है जो प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 375 दिनांक 14.05.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 2 एवं 4 की सम्पूर्ण सूचना जरिये पत्रांक 423 दिनांक 21.05.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना तृतीय पक्षकारों के संबंध मे है जिसको प्रकट करने से उनके व्यक्तिगत हित प्रभावित होते है। उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 खंड1(j) के अन्तर्गत प्रकट किये जाने से छूट है एवं अवाप्त भूमि के मुआवजा भुगतान के मापदण्ड एवं प्रावधानों के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 1000 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा नियमों संबंधित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की प्रतियां उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 5 में प्रश्नगत सूचनाएं चाही गई है, उक्त

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

सूचनाएं, सूचना का अधिकार अधिनियम में दिये जाने के प्रावधान नहीं है। बिन्दु संख्या 6 में मुआवजा संबंधित सूचनाएं चाही गई है जो तृतीय पक्षकारों से संबंधित है जिनको प्रकट करने से उनके हित प्रभावित होते है। उक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8 खण्ड 1(d) के अंतर्गत प्रकट किये जाने से छूट है। बिन्दु संख्या 7 में चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1000 दिनांक 19.12.2024 से उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 8 में चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय से कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। अतः अपील निरस्त फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 423 दिनांक 21.05.2025 से विस्तृत प्रत्युतर/सूचनाएं प्रेषित की गई। जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1 की सूचना जरिये पत्र क्रमांक 375 दिनांक 14.02.2025 से, बिन्दु संख्या 2, 4, 8 की सूचना जरिये पत्रांक 423 दिनांक 21.05.2025 से एवं बिन्दु संख्या 7 की सूचना जरिये पत्रांक 1000 दिनांक 19.12.2024 से उपलब्ध करवा दी गई है। बिन्दु संख्या 5 की सूचना प्रश्नवाचक होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी तथा बिन्दु संख्या 3 व 6 की सूचना व्यक्तिगत सूचना होने से नहीं उपलब्ध करवाई गई। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रत्युत्तर के विपरित अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/07/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर